तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 52/2025	नंबरर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15—9—2025	पत्रावली पेश हुई। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह रावत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील— पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही, स्थाई पताः— धुकलपुरा कोट किराणा, तहसील रायपुर, जिला— पाली अनुपस्थित। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01—5—2025 को मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील— पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति— रावत, निवासी—धुकलपुरा कोट किराणा, तहसील रायपुर,, जिला— पाली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ दही (लुज) का नमूना संख्या S-2693, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./735/Act/2025/735 दिनांक 22—5—2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह ने नियत सुनवाई तिथि 09—9—2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को दिनांक 09—9—2025 को ही सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि उसके द्वारा होटल का किराये पर संचालन किया जा रहा है। उसने होटल में खाने बनाने के उपयोग हेतु व बिक्री हेतु अमूल का पैकिंग दही खरीद कर लाया था जिसमें से नमूना जांच हेतु लिया गया है वह अमानक पाया गया है। प्रतिवादी ने इसमें कोई मिलावट नही की है। यह उसका प्रथम अपराध है। भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री विक्रय नही करेगा। अतः प्रकरण में कम जुर्माना कर निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 01—5—2025 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील— पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति— रावत, निवासी— धुकलपुरा कोट किराणा, तहसील रायपुर, जिला— पाली में उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील— पिण्ड़वाडा, जिला— सिरोही का निरीक्षण करने पर होटल राज में निर्माण इकाई स्थल पर लगभग 3 किलोग्राम खाद्य पदार्थ दही (लुज) एक स्टील के भिगोनें में आमजन के बिक्री हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह को गवाह श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य ......लगातार	

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 52/2025	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। अवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने होटल में निर्माण इकाई स्थल पर आमजन के बिक्री हेतु स्टील के भिगोनें में रखे हुए लगभग 3 किलोग्राम खाद्य पदार्थ दही (लुज) को प्रतिवादी दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह व उक्त गवाह के समक्ष हिला मिलाकर एकरुप किया एवं उसमें से 800 ग्राम खाद्य पदार्थ दही (लुज) को एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 48/- (अक्षरे रुपये अडतालीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने गवाह एवं प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह को चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर खरीद शुदा दही (लुज) को इन चारों बोतलों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक बोतल में 16-16 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों बोतलों को अलग अलग ढक्कन लगाकर ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2693, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ दही (लुज) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा दही (लुज) की चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा खरीदशुदा दही (लुज) की उक्त चारों नमूना बोतलों/नमूनों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रम संख्या S-2693 को उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर चारों नमूना भागों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप कोड एवं क्रम संख्या S-2693 गोंद से चिपकाकर चारों नमूनों भागों को मोटे धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी से सील मोहर किया तथा चारों नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ दही (लुज) के चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 02-5-2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 01-5-2025 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त ....लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 52/2025	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह से खाद्य पदार्थ दही (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ दही (लुज) के नमूना संख्या S-2693 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./735/Act/2025/735 दिनांक 22–5–2025 में खाद्य पदार्थ दही (लुज) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति– रावत, निवासी– धुकलपुरा कोट किराणा, तहसील रायपुर, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Mix Milk (Loose) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ दही (लुज) (नमूना संख्या S-2693 के विक्रय हेतु प्रतिवादी श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति– रावत, निवासी– धुकलपुरा कोट किराणा, तहसील रायपुर, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री पूनम सिंह, जाति– रावत, निवासी– धुकलपुरा कोट किराणा, तहसील रायपुर, जिला– पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स होटल राज, एन.एच. 27, माधव यूनिवर्सिटी रोड, काला मगरा, भुजेला, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके, बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 17–10–2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)